

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 67/2022

दायर दिनांक 15.05.2022

उनवान

1. पार्वतीबाई पत्नि रतनलाल जाति महाजन नि. रायपुर तहसील रायपुर  
- वादी

बनाम

1. ईश्वरसिंह पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
2. नन्दकिशोर पि. मांगीलाल जाति सुथार नि. सुवास तहसील रायपुर
3. बजरंगसिंह पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
4. बनेसिंह पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
5. भगवतसिंह पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
6. मनोहरसिंह पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
7. मनसिंह पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
8. राजकुंवर पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
9. श्यामकुंवर पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
10. सुगनकुंवर पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
11. सज्जनबाई पत्नि जमनालाल जाति दांगी नि. रावल तहसील रायपुर
12. सजनबाई पत्नि जमनालाल जाति दांगी नि. रावल तहसील रायपुर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

-प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53 , 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषकगण

अभिभाषक वादी - श्री विनोद जैन

अभिभाषक प्रतिवादीगण - एकतरफा

निर्णय

दिनांक 24.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम रावल तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता स. 154 की आराजी ख.नं. 61 रकबा 0.7967 हेक्टर भूमि के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2023 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार अनुसार उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे।

V

उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

1



उक्त निर्णय की पालना में नायब तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/321 दिनांक 20.03.2025 को विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया जिस पर अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2023 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम रावल तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता सं. 154 की आराजी ख.नं. 61 रकबा 0.7967 हेक्टर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं व कब्जा काशत अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किरम
1	सजनबाई पत्नि जमनालाल जाति दांगी नि. रावल	61	0.2277	माल दायम
2	पार्वतीबाई पत्नि रतनलाल जाति महाजन नि. रायपुर	61/1	0.2277	माल दायम
3	नन्दकिशोर पि. मांगीलाल जाति सुथार नि. सुवांस	61/2	0.1280	माल दायम
4	बजरंगसिंह पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल	61/3	0.1251	माल दायम
5	हेमराजसिंह पि. विक्रमसिंह हि. 1/2 राजेशकंवर पुत्री विक्रमसिंह पति जीवनसिंह हि. 1/2 जाति राजपूत नि. रावल	61/4	0.0113	माल दायम
6	रामबाबू दांगी पि. मनोहरलाल जाति दांगी नि. रावल	61/5	0.0256	माल दायम
7	गोविन्द नारायणसिंह पि. बल्लूसिंह जाति सांधिया नि. कल्याणपुरा	61/6	0.0513	माल दायम

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।  
फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा.आरएएस)  
उपखण्ड अधिकारी पिंडौरा  
पिंडौरा, जिला झालावाड़ राज०



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 67/2022

दायर दिनांक 15.05.2022

उनवान

1. पार्वतीबाई पत्नि रतनलाल जाति महाजन नि. रायपुर तहसील रायपुर  
- वादी

बनाम

1. ईश्वरसिंह पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
2. नन्दकिशोर पि. मांगीलाल जाति सुथार नि. सुवास तहसील रायपुर
3. बजरंगसिंह पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
4. बनेसिंह पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
5. भगवतसिंह पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
6. मनोहरसिंह पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
7. मनसिंह पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
8. राजकुंवर पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
9. श्यामकुंवर पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
10. सुगनकुंवर पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
11. सज्जनबाई पत्नि जमनालाल जाति दांगी नि. रावल तहसील रायपुर
12. सजनबाई पत्नि जमनालाल जाति दांगी नि. रावल तहसील रायपुर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

-प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53 , 209 आर.टी.एक्ट

उपरिस्थिति अभिभाषकगण

अभिभाषक वादी - श्री विनोद जैन

अभिभाषक प्रतिवादीगण - एकतरफा

मिनजानित मुदई रूवरु .....X.....मिनजाबिन

मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक््री दी जाती है कि - इस न्यायालय के निर्णय व डिक््री दिनांक 24.01.2023 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम रावल तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता स. 154 की आराजी ख.नं. 61 रकबा 0.7967 हेक्टर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं व कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :-

3

उपखण्ड अधिकारी  
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)



7

क्र. स.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किरम
1	सजनबाई पत्नि जमनालाल जाति दांगी नि. रावल	61	0.2277	माल दायम
2	पार्वतीबाई पत्नि रतनलाल जाति महाजन नि. रायपुर	61/1	0.2277	माल दायम
3	नन्दकिशोर पि. मांगीलाल जाति सुथार नि. सुवांस	61/2	0.1280	माल दायम
4	बजरंगसिंह पि. भेरूसिंह जाति राजपूत नि. रावल	61/3	0.1251	माल दायम
5	हेमराजसिंह पि. विक्रमसिंह हि. 1/2 राजेशकंवर पुत्री विक्रमसिंह पति जीवनसिंह हि. 1/2 जाति राजपूत नि. रावल	61/4	0.0113	माल दायम
6	रामबाबू दांगी पि. मनोहरलाल जाति दांगी नि. रावल	61/5	0.0256	माल दायम
7	गोविन्द नारायणसिंह पि. बल्लूसिंह जाति सौंधिया नि. कल्याणपुरा	61/6	0.0513	माल दायम

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा, आर.एस.सी.)  
उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
पिडावा, जिला झालावाड राज0।

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद  
बपारह .....X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X.....  
अदा करूंगा।  
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 24.03.2025 को जारी किया  
गया।

(दिनेश कुमार मीणा, आर.एस.सी.)  
उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
पिडावा, जिला झालावाड राज0।

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

(दिनेश कुमार मीणा, आर.एस.सी.)  
उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
पिडावा, जिला झालावाड राज0।

